राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4174/2022

प्रतिभा शर्मा –अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, माध्यमि शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, समरपुरा, गोविन्दगढ, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.09.2022
आदेश की दिनांक : 18.10.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री महादेव प्रसाद, अधिवक्ता

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम.एस.काला, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार व्यक्त किया गया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, समरपुरा, गोविन्दगढ़, जयपुर में पदस्थापित है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गधोरा, सिकराय, दौसा 100 कि.मी. दूर किया गया। अपीलार्थी वर्तमान में सात माह की गर्भवती है (अनुलग्नक–5)। अपीलार्थी को आने जाने में काफी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। अपीलार्थी की पांच वर्ष की बच्ची है, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी अपीलार्थी की है। अपीलार्थी के पति भी राजकीय सेवा में कनिष्ठ सहायक के पद पर जयपुर में कार्यरत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को निरन्तर वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, समरपुरा, गोविन्दगढ़, जयपुर में कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में सात माह की गर्भवती (Pregenant)है (अनुलग्नक–5) तथा काफी परेशानी चल रही है। इसप्रकार उपर्युक्त मामले की वर्तमान परिस्थितियों/कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी चार सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में चार सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम.एस.काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य